संख्या-19/2015/1159/15-7-2015-1(23)/2014

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 28 सितम्बर, 2015

विषय:- प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु 191 मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभियान उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-आर0एम0एस0ए0/मॉडल स्कूल-406-ए/731/2015-16, दिनांक 01 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रपुरोनिधानित मॉडल स्कूल योजना भारत सरकार की सहायता से पूर्व में संचालित थी, जिसका आवर्तक और अनावर्तक मद में केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत निर्धारित था। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में स्टेट सेक्टर कम्पोनेन्ट के अधीन 680 शैक्षिक दृष्टि से चिन्हित पिछड़े विकास खण्डों में एक-एक मॉडल स्कूल चरणों में खोले जाने थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में 148 और वर्ष 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल स्वीकृत किये गये थे। उक्त 193 मॉडल स्कूल भवनों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति मॉडल स्कूल रू03.02 करोड़ की इकाई लागत स्वीकृत की गयी थी, जिसके भवन निर्माण कार्य हेतु तत्समय निर्धारित केन्द्रांश (75 प्रतिशत) और राज्यांश (25 प्रतिशत) की शत्-प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा सम्बन्धित जनपदों द्वारा निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जा चुकी है और उक्त में से 191 मॉडल स्कूलों में निर्माण कार्य गतिमान है। 02 मॉडल स्कूल, भूमि की अनुपलब्धता के कारण असाध्य श्रेणी में हैं।

2- केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में मॉडल स्कूल योजना को डी-लिन्क कर दिये जाने के कारण मॉडल स्कूल योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना नहीं रही है, परिणामस्वरूप अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर चलाये जाने पर निजी भागीदारी से पूंजी व्यय में अंशदान मिलेगा व निवेश के पूरक के रूप में सहभागी होगा। निजी संस्थाओं की कार्यात्मक दक्षता और कार्य कुशलता का उपयोग करके व उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचार/नवप्रयोगों के विभिन्न मॉडलों द्वारा किए गये प्रयासों/हस्तक्षेपों से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

3- अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के सिद्धांत पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1- 191 मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्मित समस्त मॉडल स्कूलों के भवन (स्थापित आन्तरिक अवसंरचना सहित) व भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति रहेगें व चयनित निजी संस्था के साथ अनुबन्ध की अवधि के अधीन भी स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।

2- निजी संस्था के चयन हेतु प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में अन्तर-विभागीय समिति गठित की जाएगी जिसमें वित्त, न्याय, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगें। उक्त समिति द्वारा विशेषज्ञ परामर्शदाता का चयन, निविदा शर्तो एवं मानदण्डों का निर्धारण, आर0एफ0पी0 तथा अनुबन्ध पत्र का गठन सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा वास्तविक कार्य हेतु यथावश्यक उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

3- निजी संस्था के चयन का आधार इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि जिससे उच्च क्षमता, अच्छी छवि तथा पर्याप्त एवं सुसंगत अनुभव रखने वाली संस्थाएं चयन प्रक्रिया में भाग लें।

4- निजी संस्था द्वारा संबंधित मॉडल स्कूलों की परीक्षा बोर्ड की सम्बद्धता के विषय में निर्णय लिया जायेगा। एकरूपता के दृष्टिकोण से अन्तिम निर्णय उ0प्र0शासन द्वारा लिया जा सकेगा।

5- निजी संस्था द्वारा यथा-स्थिति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों अथवा अधिनियमों के अनुरूप मॉडल स्कूलों का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यथा-स्थिति उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0 एस0ई0 बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप मॉडल स्कूलों का संचालन किया जाएगा।

6- अनुबन्धित निजी संस्थाओं को आवंटित मॉडल स्कूलों के प्रति विधिक जिम्मेदारियां एवं उत्तरदायित्व अनुबन्ध पत्र में (विशेषकर निम्न बिन्दुओं पर) स्पष्ट किए जाएगें:-

6.1 प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, सेवा शर्तो व वेतनादि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व निजी संस्था का होगा।

6.2 निजी संस्था को स्वतंत्रता होगी कि वे माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 अथवा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन या आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त करें। यथास्थिति यू0पी0बोर्ड अथवा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन या आई0सी0एस0ई0 के मानदण्डों और सम्बद्धता से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

6.3 स्कूल में फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें/पत्रिकाएं/समाचार-पत्र, साज-सज्जा, स्कूल स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण, सुरक्षा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुरक्षण व अवस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था निजी संस्था द्वारा की जायेगी और इस हेतु उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान देय नही होगा।

6.4 निजी संस्था द्वारा मॉडल स्कूल का नाम किसी जाति, समुदाय, धर्म या व्यक्ति विशेष से सम्बद्व नहीं होगा। स्कूल का नाम दो शब्दों से शुरू कर सकते है और अंत ''मॉडल स्कूल'' शब्दों से होना चाहिए।

6.5 स्कूल का प्रबंधन और संचालन में निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता निजी संस्था के पास रहेगी। स्कूल प्रबंध समिति में अभिभावक, स्थानीय निकायों, अपवंचित वर्ग के प्रतिनिधियों, शिक्षा विशेषज्ञ तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होगें।

7- निजी संस्था के साथ अनुबन्ध की अवधि का निर्धारण योजना के सफल संचालन के दृष्टिकोण से किया जाएगा। उक्त अनुबन्ध की अवधि 15 वर्ष से कम नहीं रखी जाएगी।

8- निजी संस्था एवं राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों का निर्धारण स्पष्ट रूप से अनुबन्ध पत्र में किया जाएगा साथ ही विवाद निराकरण एवं विद्यालयों के अनुश्रवण हेतु स्पष्ट व्यवस्था तथा मानक निर्धारित किए जाएगें।

9- यदि निजी संस्था द्वारा अनुबन्ध की शर्तो एवं मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में निजी संस्था को दण्डित करने एवं अनुबन्ध को निरस्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा।

10- सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से संचालित मॉडल स्कूलों में न्यूनतम 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश एवं शिक्षा निजी संस्थान द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाएगी। इन 25 प्रतिशत छात्रों के प्रवेश में नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। अवशेष छात्रों का प्रवेश एवं उनका प्रबन्धन निजी संस्था द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालय में अध्ययनत छात्रों को अलग सेक्शन में न रख कर प्रत्येक कक्षा में मिला दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार का भेद-भाव छात्रों के बीच न हो। उक्त 25 प्रतिशत छात्रों (न्यूनतम) की प्रवेश प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा तय करते हुए अनुबन्ध पत्र में सम्मिलित कर ली जाएगी।

11- निजी संस्था के साथ अनुबन्ध करने हेतु निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 को अधिकृत किया जाता है।

12- मॉडल स्कूलों के संचालन के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा लिये गये निर्णय एवं तद्क्रम में निर्गत आदेश/शासनादेश को अपास्त करते हुये निम्नवत कार्यवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

12.1- 191 मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किए जाने के फलस्वरूप प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12.2- मॉडल स्कूल योजना को भारत सरकार द्वारा डी-लिंक किए जाने के फलस्वरूप योजना के प्रबन्धन हेतु एम0एम0ई0आर0 मद में धनराशि उपलब्ध नहीं होगी अतः योजना के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ तथा राज्य मॉडल स्कूल संगठन, उ0प्र0 को समाप्त किया जाता है।

12.3- सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर मॉडल स्कूल योजना का क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण, समीक्षा आदि समस्त कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किया जाएगा।

13- सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से मॉडल स्कूलों के संचालन के विषय में भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाता है।

4- कृपया तद्नुसार मॉडल स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-1159(1)/15-7-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, वित्त/नियुक्ति एवं कार्मिक/नियोजन/सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा अभियान, 18, पार्क रोड,लखनऊ।
4- सचिव, महिला एवं बाल विकास/ग्राम्य विकास/पंचायती राज उ0प्र0शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- कमिश्नर, राज्य मॉडल स्कूल संगठन, उ0प्र0।
7- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
10- डिप्टी कमिश्नर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त मण्डलीय/उप शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12- अपर राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी संसूचित करने का कष्ट करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।